

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 40 / प्र030(त0र0) / जोन-2 / प्रस्ता0 / 2014-15 दिनांक: 11 / 11 / 2014

अनुमति-पत्र




यह अनुमति 3090 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भू-निर्देश के अन्तर्गत में जिस पर व्यवसायिक/आवासीय सदन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थायी विकास या इसका स्थायी अवकाश या आवेदन तथा धर्म के नास्तिकान अधिकारों पर किसी का कोई अस्तर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के नैतिकता या स्वतंत्रता के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री सुरेश कुमार यादव पुत्र 240 गौला नाथ यादव द्वारा धवन सं0-51/38 एच0सी0 बासु रोड इलाहाबाद के जोन संख्या (2) के अन्तर्गत व्यवसायिक/आवासीय सदन मानचित्र के निर्माण की अनुमति हेतु दक्षिण मध्य मानचित्र की स्वीकृति/निर्माण निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :

1. 3090 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14(1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही अग्रभोग/अधिमोग किया जावेगा, मकान निर्माण एवं विकास उपरोक्त 2008 में उपरोक्त संख्या 21.8 एवं 21.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णतः प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. वह स्वीकृति अनिश्चित (Provisona) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरांत, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तों पूर्ण करने के पश्चात्, निर्मित किये जाने वाले 'पूर्णतः प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को गैरवाणिज्यिक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फीट का एक बड़े लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंतर्गत करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के कर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 07 कुब लगाया होगा तथा कुबों को दृश-गोचर रखने का वास्तव्य आवेदक को होगा।
5. स्थल का अधिमोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा। जिसमें वेल्डिंग नै स्ट्रोर, सिरेल्ल, नार्थिंग, प्रथम एवं द्वितीय तल पर कन्-रिनिशन्ट डॉ- एवं तृतीय तल पर आवासीय निर्माण अनुमत्त किया जा रहा है।
6. अवधारणा सुविधाओं के परिशिष्ट में नगर आयुक्त, नगर मैग्स द्वारा मन्त्रित की स्वीकृति के अन्तर्गत कोई भेद्यत/अतिरिक्त आरोपित किये जाते हैं तो प्रस्ताव अनुपलब्ध/पुनर्प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
7. मानचित्र व्यवहार में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की शक्यता में प्रस्ताव स्वीकृति नानोटिफिकेशन के अन्तर्गत ही प्रस्ताव को निरस्त के अधीन होगी। यह स्वीकृति मू-रखायित या अतिरिक्त प्रदान नहीं करती है। मू स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सदन स्वतंत्रता/प्राधिकारी द्वारा ही निराकरण किया जा सकता है।
8. निर्माण समन पर जारी शाराणादेश न नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई दुरुक्त आरोपित करता है तो उसे पत्र को जमा करना होगा।
9. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना दिनांकी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो 3090 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
10. यह स्वीकृति पत्र केवल तीन वर्ष की अवधि के लिए है।
11. मकान निर्माण को यदि नाले के रुद्धक की गटरी तथा सड़क या नाले के किसी भाग (जो मकान के अन्तर्गत, प्लत भाग अथवा उसके आसपास के पारसन डक गई हों) को हानि पहुंचे तो मकानधी वेधन हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और ईच्छ कक्ष को पहुंचने ही उसे अपने स्वयं से नाले का अस्तर पूर्णतः अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को संतोष हो जाय, में कर देना।
12. मू निर्माण के समय इतना भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इम्प्लैमन्ट इलेक्ट्रिसिटी रूला 1956) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी तल में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण को जानकारी में ऐसे मामले पाने गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
13. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक इन सामने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान अन्तर्गत होने से पूर्व देना होगा तथा उस आधारों का नाम भी देना होगा जिसके निर्देशन में मकान निर्माण हुआ है।
14. यदि निर्माण में गलत प्दान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माता को दो गरी स्वीकृति यह समझी जायेगी और किये तथा निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्रवाही आरम्भ की जायेगी।



प्राधिकृत
सुरेश कुमार यादव

11/11/2014
मुख्य अधिकारी (पुनर्) (3090-2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद



NOTE -
LIME CONC. IN FOUNDATION FLOORING OVER R.C.C. SLAB

1. TOTAL AREA OF PLOT	=	502.32 sqm
2. SOLD AREA (333.74x1.81)	=	375.55 sqm
3. REST AREA OF PLOT	=	126.77 sqm
4. ROAD WIDENING AREA	=	10.70 sqm
5. NET AREA OF PLOT	=	116.07 sqm
6. COVERED AREA OF BASEMENT F	=	31.26 *
7. COVERED AREA OF STILT F	=	46.40 *
8. COVERED AREA OF F.F	=	46.40 *
9. COVERED AREA OF S.F	=	46.40 *
10. COVERED AREA OF T.F	=	46.40 *
11. COVERED AREA OF MUMTY	=	9.18 *
12. OPEN AREA	=	68.67 *
13. GROUND COVERAGE	=	40.0 %



It is certified that the building plan has been prepared according to Master Plan 2021, Zonal Plan and Bhuvan Uppathi 2012

PROPOSED COMMERCIAL/RESIDENTIAL BUILDING PLAN OF PART OF HOUSE NO. 5138, S.C. BASU ROAD PARGANA, BTEHSIL - SADAR, ALLAHABAD.

SCALE 1:100

OWNER :-
SRI. SUSHIL KUMAR VADAV
S. PLATE BHOLANATH VADAV

(Signature)
B. K. K. P. 2019
30/01/2019
1. 1st Floor, 2nd Floor, 3rd Floor, 4th Floor, 5th Floor, 6th Floor, 7th Floor, 8th Floor, 9th Floor, 10th Floor, 11th Floor, 12th Floor, 13th Floor, 14th Floor, 15th Floor, 16th Floor, 17th Floor, 18th Floor, 19th Floor, 20th Floor, 21st Floor, 22nd Floor, 23rd Floor, 24th Floor, 25th Floor, 26th Floor, 27th Floor, 28th Floor, 29th Floor, 30th Floor, 31st Floor, 32nd Floor, 33rd Floor, 34th Floor, 35th Floor, 36th Floor, 37th Floor, 38th Floor, 39th Floor, 40th Floor, 41st Floor, 42nd Floor, 43rd Floor, 44th Floor, 45th Floor, 46th Floor, 47th Floor, 48th Floor, 49th Floor, 50th Floor, 51st Floor, 52nd Floor, 53rd Floor, 54th Floor, 55th Floor, 56th Floor, 57th Floor, 58th Floor, 59th Floor, 60th Floor, 61st Floor, 62nd Floor, 63rd Floor, 64th Floor, 65th Floor, 66th Floor, 67th Floor, 68th Floor, 69th Floor, 70th Floor, 71st Floor, 72nd Floor, 73rd Floor, 74th Floor, 75th Floor, 76th Floor, 77th Floor, 78th Floor, 79th Floor, 80th Floor, 81st Floor, 82nd Floor, 83rd Floor, 84th Floor, 85th Floor, 86th Floor, 87th Floor, 88th Floor, 89th Floor, 90th Floor, 91st Floor, 92nd Floor, 93rd Floor, 94th Floor, 95th Floor, 96th Floor, 97th Floor, 98th Floor, 99th Floor, 100th Floor.

SIG. OF OWNER SIG. OF ENG.